कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश ज्ञापांक 833 /पटना, दिनांक 04.02.16

05/नि./अंके. (पैक्स अंकेक्षण)–65/2015

आदेश

बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (यथासंशोधित 2013) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य के सहकारी समितियों का अंकेक्षण वर्ष में एक बार किया जाना आवश्यक है। अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति का यह दायित्व है कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के भीतर अपने लेखाओं का अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें। परन्तु वर्त्तमान में दिनांक 30.11.2015 तक राज्य के कुल 8463 पैक्सों में से मात्र 1678 पैक्सों का ही अंकेक्षण संभव हुआ है। शेष 6785 पैक्सों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। विभागीय अंकेक्षण पदाधिकारियों के कार्यरत बल में कमी को ध्यान में करते हुए विभागीय पत्रांक 7373 दिनांक 11.12.2015 द्वारा एक कमिटि का गठन कर पैक्सों के अंकेक्षण हेतु मंतव्य एवं सुझाव की मांग की गई। उक्त गठित कमिटि से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा–33 के सुसंगत प्रावधान के तहत् प्रत्येक जिलों के पैक्सों का दिनांक 31.03.2015 तक का वैधानिक अंकेक्षण वैसे सनदी लेखाकरों से कराई जाय जो निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक 328 दिनांक 15.01.2015 एवं विभागीय आदेश पत्रांक 5839 दिनांक 15.09.2015 द्वारा सूचीबद्ध किये गये है। पैक्सों के अंकेक्षण हेतु सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों को प्राधिकृत करते हुए निम्नांकित निदेश दिये जाते है :–

1. पैक्सों के अंकेक्षण हेतु सूचीबद्ध सनदी लेखाकरों के बीच राज्य के सभी जिलों में सनदी लेखाकारों के आवंटन की सूची अनुलग्नक के रूप में इस आदेश के साथ संलग्न है। जिलों के लिए आवंटित सनदी लेखाकारों से जिले के पैक्सों का दिनांक 31.03.2015 तक का अंकेक्षण कराया जाना है। विभागीय पत्रांक 4234 दिनांक 24.09.2005 के द्वारा सनदी लेखाकारों के लिए सहकारी समितियों के वैधानिक अकेक्षण संबंधी अनुदेश निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रत्येक जिलों के लिए आवंटित सनदी लेखाकार अधिकतम 35 (पैंतीस) पैक्सों को अंकेक्षण कर सकेंगे।
3. सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ अपने अधीनस्थ सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से दिनांक 29.02.2016 तक सभी पैक्सों के 31.03.2015 तक के अभिलेखों को अंकेक्षण योग्य अद्यतन रूप से तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का यह दायित्व होगा कि अंकेक्षण हेतु समितियों के अभिलेखों को अद्यतन कराकर संबंधित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को समितियों की सूची उपलब्ध करायेंगे।
5. सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ से समितियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी आवंटित सनदी लेखाकार एवं पैक्सों से समन्वय स्थापित कर समिति के अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था केन्द्रीय सहकारी बैंक की संबंधित शाखा पर कैम्प का आयोजन कर सुनिश्चित करायेंगे।
6. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ अपने अधीनस्थ विभागीय अंकेक्षण पदाधिकारियों के बीच प्रखंड का आवंटन सुनिश्चित करेंगे तथा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ से समितियों की अभिलेख